D:\R.K.Sunwal Folder\General\Election Leave 2017.Doc

*चुनाव अत्यावश्यक*

**राजस्थान सरकार**
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग**

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः

**– : आदेश :–**

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में नगरीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों (संलग्न सूची अनुसार) के उपचुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपचुनाव दिनांक **12.06.2018 (मंगलवार)** को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

**राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,**

**(गौरव बजाड़)**
**संयुक्त शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–**

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, राजस्थान जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 24.5.2018 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
11. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
12. समस्त संभागीय आयुक्त।
13. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त शासन सचिव**

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072


क्रमांकः एफ.7(2)(9)पंचा / रानिआ / 2018 / 2074 दिनांक 24.5.18

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव माह जून, 2018–आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून, 2018 हेतु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। कार्यक्रम के अनुसार उप चुनाव के लिये निर्वाचन हेतु अधिसूचना दिनांक 28.05.2018 को ज़ारी होगी तथा मतदान दिनांक 12.06.2018 को होगा। घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रकिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

आज्ञा से

(चन्द्रशेखर मूथा) 24/5/18
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(2)(9)पंचा / रानिआ / 2018 / 2075 दिनांक 24.5.18
प्रतिलिपि:– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

24.5.2018
(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव

1684
29.05.18
JS/AG
25/5/18
3113/Acs/GAD/18
28.5.18
AS-2
28/5/18

# नगरनिकाय उप चुनाव माह जून 2018 हेतु रिक्त पदों का विवरण

| क्र. सं. | जिले का नाम | नगरनिगम / नगरपरिषद / नगर पालिका का नाम | रिक्त वार्ड संख्या | वर्गीकरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | न.पा. पुष्कर | 16 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 2. | अलवर | न.पा. राजगढ़ | 06 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 3. | बीकानेर | न.पा. नोखा | 05 | सामान्य वर्ग |
| 4. | चुरू | न.प. सुजानगढ़ | 36 | अनुसूचित जाति |
| 5. | धौलपुर | न.प. धौलपुर | 44 | अन्य पिछड़ा वर्ग |
| 6. | जयपुर | न.पा. कोटपुतली | 18 | अनुसूचित जन जाति (महिला) |
| | | न.पा. फुलेरा | 19 | अनुसूचित जाति |
| 7. | जोधपुर | न.पा. बिलाड़ा | 15 | अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 8. | उदयपुर | न.नि. उदयपुर | 46 | सामान्य (महिला) |
| 9. | जैसलमेर | न.प. जैसलमेर | 09 | सामान्य वर्ग |

## माह जून, 2018 हेतु उपचुनाव कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| 1. | लोक सूचना जारी करने की तिथि | 28,05.2018 (सोमवार) |
| 2. | नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 31.05.2018 (गुरूवार) |
| | नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय | (प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक) |
| 3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि | 01.06.2018 (शुक्रवार) (प्रातः 10.30 बजे से) |
| 4. | अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि | 04.06.2018 (सोमवार) (अपराह्न 3.00 बजे तक) |
| 5. | चुनाव चिन्हों का आवंटन | 05.06.2018 (मंगलवार) |
| 6. | मतदान की तिथि (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो) | 12.06.2018 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक) |
| 7. | मतगणना | 14.06.2018 (गुरूवार) (प्रातः 8 बजे से) |

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
## पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

(संशोधित दिनांक 24.05.2018 )

| क्र.सं | जिला | जि.प. नि.क्षे. संख्या | पंचायत समिति सदस्य / प्रधान | | सरपंच | | उप सरपंचों की संख्या | वार्ड पंचो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प.स. का नाम | नि. क्षे. सं. | प.स. का नाम | ग्रा.प. का नाम | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अजमेर | | श्रीनगर | 25 | | | | 7 |
| 2 | अलवर | | उमरैण | 2 | लक्ष्मणगढ | झालाटाला | | 14 |
| | | | | | कठूमर | सहाडी | | |
| 3 | बांसवाड़ा | | कुशलगढ | 6 | | | | 4 |
| | | | | 17 | | | | |
| 4 | बारां | | छीपाबडौद | 2 | | | | 3 |
| 5 | बाडमेर | | समदडी | 1 | गडरारोड | गडरारोड | 1 | 10 |
| | | | गडरारोड | 10 | | | | |
| 6 | भरतपुर | | कामां | 17 | पहाडी | धीमरी | 1 | 13 |
| | | | कुम्हेर | 7 | कामां | लूहेसर | | |
| | | | | | नदबई | करही | | |
| 7 | भीलवाड़ा | | | | आसीन्द | कालियास | 2 | 8 |
| | | | | | बनेडा | मुशी | | |
| | | | | | माण्डल | भादू | | |
| 8 | बीकानेर | | | | | | 1 | 6 |
| 9 | बून्दी | | | | | | | 4 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | | | | | | 2 | 5 |
| 11 | चुरू | | | | | | 1 | 11 |
| 12 | दौसा | | | | लालसोट | हेमल्यावाला | | 3 |
| 13 | धौलपुर | | | | बाडी | धीमरी | — | 1 |
| 14 | डूंगरपुर | | सागवाडा | 26 | | | 2 | 3 |
| 15 | हनुमानगढ | | | | | | | 4 |
| 16 | जयपुर | | जालसू | 15 | सांभरलेक | बस्सी नागा | | 12 |
| 17 | जैसलमेर | | | | | | 1 | 3 |
| 18 | जालौर | | आहोर | 20 | आहोर | भवरानी | | 9 |
| | | | | | सांचौर | हरियाली | | |
| 19 | झालावाड़ | | | | पिडावा | बानोर | | 1 |
| 20 | झुन्झुनूं | | | | उदयपुरवाटी | गुडा | 2 | 4 |
| | | | | | खेतडी | नांगलिया गुजरवास | | |
| 21 | जोधपुर | | | | देचू | कलाउ | 2 | 7 |
| | | | | | लूणी | नंदवाण | | |
| 22 | करौली | | | | नादौती | बरदाला | | 7 |
| | | | | | सपोटरा | कांचरोदा | | |
| 23 | कोटा | | खैराबाद | 20 | | | | 3 |
| 24 | नागौर | | | | डेगाना | डेगाना गांव | 1 | 24 |
| 25 | पाली | | | | | | 2 | 9 |
| 26 | प्रतापगढ़ | | | | | | 2 | 6 |
| 27 | राजसमन्द | | | | | | | 5 |
| 28 | सवाई माधोपुर | 8 | चौथ का बरवाडा | 7 | बौंली | हथडोली | | 3 |
| | | | गंगापुर | 1 | | | | |
| 29 | सीकर | | फतेहपुर | 12 | पाटन | दयाल की नांगल | 2 | 25 |
| | | | | | दातारामगढ | बानूडा | | |
| 30 | सिरोही | | सिरोही | 7 | | | 1 | 8 |
| 31 | श्रीगंगानगर | | | | | | | 5 |
| 32 | टोंक | | | | | | | 6 |
| 33 | उदयपुर | | सराडा | 10 | सायरा | सुआवतो का खेडा | 1 | 11 |
| | | | | | गोगुन्दा | छाली | | |
| | योग | 1 | पं.सं. सदस्य | 18 | सरपंच–27 | | 24 | 244 |

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

## पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून, 2018 हेतु चुनाव कार्यक्रम

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के लिए

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नियम 58 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना | दि. 28.05.2018 (सोमवार) |
| 2. | नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | दि. 30.05.2018 (बुधवार) (पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक) |
| 3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा | दि. 31.05.2018 (गुरूवार) (पूर्वाह्न 11.30 बजे से) |
| 4. | नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि | दि. 01.06.2018 (शुक्रवार) (अपराह्न तीन बजे तक) |
| 5. | चुनाव चिन्हों का आवंटन | दि. 01.06.2018 (शुक्रवार) (अपराह्न तीन बजे बाद) |
| 6. | मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो | दि. 12.06.2018 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक) |
| 7. | मतगणना (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर) | दि. 14.06.2018 (गुरूवार) (प्रातः 8 बजे से) |

पंच/सरपंच के लिए

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना | दि. 28.05.2018 (सोमवार) |
| 2. | नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापसी हेतु दिनांक | दि. 07.06.2018 (मंगलवार) |
| | समय | |
| | (1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति | प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक |
| | (2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा | पूर्वान्ह 11.30 बजे से |
| | (3) अभ्यर्थिता वापसी | अपराह्न 3 बजे तक |
| 3. | मतदान, यदि आवश्यक हुआ | दि. 12.06.2018 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक) |
| 4. | मतगणना | दि. 12.06.2018 (मंगलवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्) |
| 5. | उप सरपंच का चुनाव | दि. 13.06.2018 (बुधवार) |

24.5.2018

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

## पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

(संशोधित दिनांक 24.05.2018 )

| क्र.सं | जिला | जि.प. नि.क्षे. संख्या | पंचायत समिति सदस्य / प्रधान | | सरपंच | | उप सरपंचो की संख्या | वार्ड पंचो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प.स. का नाम | नि. क्षे. सं. | प.स. का नाम | ग्रा.प. का नाम | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | अजमेर | | श्रीनगर | 25 | | | | |
| 2 | अलवर | | उमरैण | 2 | लक्ष्मणगढ | झालाटाला | | 7 |
| | | | | | कठूमर | सहाडी | | |
| 3 | बांसवाड़ा | | कुशलगढ | 6 | | | | 14 |
| | | | | 17 | | | | |
| 4 | बारां | | छीपाबडौद | 2 | | | | 4 |
| 5 | बाड़मेर | | समदडी | 1 | | | | 3 |
| | | | गडरारोड | 10 | गडरारोड | गडरारोड | 1 | 10 |
| 6 | भरतपुर | | कामां | 17 | पहाडी | धीमरी | | |
| | | | कुम्हेर | 7 | कामां | लूहेसर | 1 | 13 |
| | | | | | नदबई | करही | | |
| 7 | भीलवाड़ा | | | | आसीन्द | कालियास | | |
| | | | | | बनेडा | मुशी | 2 | 8 |
| | | | | | माण्डल | भादू | | |
| 8 | बीकानेर | | | | | | | |
| 9 | बून्दी | | | | | | 1 | 6 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | | | | | | | 4 |
| 11 | चुरू | | | | | | 2 | 5 |
| 12 | दौसा | | | | | | 1 | 11 |
| 13 | धौलपुर | | | | लालसोट | डेमल्यावाला | | 3 |
| 14 | डूंगरपुर | | सागवाडा | 26 | बाडी | धीमरी | — | 1 |
| 15 | हनुमानगढ | | | | | | 2 | 3 |
| 16 | जयपुर | | जालसू | 15 | सांभरलेक | बस्सी नागा | | 4 |
| 17 | जैसलमेर | | | | | | | 12 |
| 18 | जालौर | | आहोर | 20 | आहोर | भवरानी | 1 | 3 |
| | | | | | सांचौर | हरियाली | | |
| 19 | झालावाड़ | | | | पिडावा | बानोर | | 9 |
| 20 | झुन्झुनूं | | | | उदयपुरवाटी | गुडा | | 1 |
| | | | | | खेतडी | नांगलिया गुजरवास | 2 | 4 |
| 21 | जोधपुर | | | | देचू | कलाउ | | |
| | | | | | लूणी | नंदवाण | 2 | 7 |
| 22 | करौली | | | | नादौती | बरदाला | | |
| | | | | | सपोटरा | कांचरोदा | | 7 |
| 23 | कोटा | | खैराबाद | 20 | | | | |
| 24 | नागौर | | | | डेगाना | डेगाना गांव | | 3 |
| 25 | पाली | | | | | | 1 | 24 |
| 26 | प्रतापगढ़ | | | | | | 2 | 9 |
| 27 | राजसमन्द | | | | | | 2 | 6 |
| 28 | सवाई माधोपुर | 8 | चौथ का बरवाडा | 7 | | | | 5 |
| | | | गंगापुर | 1 | बौंली | हथडोली | | 3 |
| 29 | सीकर | | फतेहपुर | 12 | पाटन | दयाल की नांगल | 2 | 25 |
| | | | | | दातारामगढ | बानूडा | | |
| 30 | सिरोही | | सिरोही | 7 | | | | |
| 31 | श्रीगंगानगर | | | | | | 1 | 8 |
| 32 | टोंक | | | | | | | 5 |
| 33 | उदयपुर | | | | | | | 6 |
| | | | सराडा | 10 | सायरा | सुआवतों का खेडा | 1 | 11 |
| | | | | | गोगुन्दा | छाली | | |
| योग | | 1 | पं.सं. सदस्य | 18 | सरपंच–27 | | 24 | 244 |